क्रम संख्या–83 (ख)

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0एन0–30/03
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

देहरादून, बुधवार, 09 जून, 2004 ई0
ज्येष्ठ 19, 1926 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन

परिवहन विभाग

संख्या 248/परि0/2004
देहरादून, 09 जून, 2004

अधिसूचना

प0आ0–102

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तरांचल के राज्यपाल, उत्तरांचल परिवहन विभाग लिपिक वर्ग सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तें विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तरांचल परिवहन विभाग लिपिक वर्ग सेवा नियमावली, 2004

भाग एक–सामान्य

1. (1) यह नियमावली उत्तरांचल परिवहन विभाग लिपिक वर्ग सेवा नियमावली, 2004 कही जाएगी। — संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2. उत्तरांचल परिवहन विभाग लिपिक वर्ग सेवा एक अधीनस्थ सेवा है, जिसमें समूह "ग" के पद सम्मिलित हैं। — सेवा की प्रास्थिति

3. जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में– — परिभाषायें

(क) 'नियुक्ति प्राधिकारी' का तात्पर्य–

(एक) मुख्यालय में कार्यालय अधीक्षक ग्रेड–1, कार्यालय अधीक्षक ग्रेड–2, वैयक्तिक सहायक, आशुलिपिक कम कनसोल ऑपरेटर, लेखाकार, सम्परीक्षक/ज्येष्ठ

लेखा परीक्षक एवं संख्या सहायक के सम्बन्ध में परिवहन आयुक्त से है और मुख्यालय के अन्य पदों के सम्बन्ध में अपर परिवहन आयुक्त से है; और

(दो) संभागीय या उपसंभागीय कार्यालयों में कार्यालय अधीक्षक ग्रेड–2, लेखाकार के पद के सम्बन्ध में परिवहन आयुक्त, मुख्य लिपिक, वरिष्ठ सहायक एवं वरिष्ठ डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, वरिष्ठ लिपिक एवं वरिष्ठ डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, आशुलिपिक एवं वरिष्ठ डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, लेखालिपिक के पद के सम्बन्ध में अपर परिवहन आयुक्त एवं कनिष्ठ लिपिक व कनिष्ठ डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के पद के सम्बन्ध में अपने–अपने सम्भागों के कार्यालयों के पदों के लिये संभागीय परिवहन अधिकारी से है।

(ख) "परिवहन आयुक्त" का तात्पर्य परिवहन आयुक्त, उत्तरांचल से है;

(ग) "अपर परिवहन आयुक्त" का तात्पर्य अपर परिवहन आयुक्त, उत्तरांचल से है;

(घ) "भारत का नागरिक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो संविधान के भाग–2 के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाये;

(च) "संविधान" का तात्पर्य भारत के संविधान से है;

(छ) "सरकार" का तात्पर्य उत्तरांचल सरकार से है;

(ज) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तरांचल के राज्यपाल से है;

(झ) "सेवा का सदस्य" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त और सेवारत व्यक्ति से है;

(ट) "संभागीय कार्यालय" का तात्पर्य संभागीय परिवहन कार्यालय से है और इसके अधीनस्थ उपसंभागीय परिवहन कार्यालय और उसी संभाग के सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) का कार्यालय से है। इसमें उस संभाग में पड़ने वाली राज्य की सीमा पर स्थापित चौकी (चेकपोस्ट) भी सम्मिलित है;

(ठ) "संभागीय परिवहन अधिकारी" का तात्पर्य उत्तरांचल के किसी संभाग के संभागीय परिवहन अधिकारी से है;

(ड) "सेवा" का तात्पर्य उत्तरांचल परिवहन विभाग लिपिक वर्ग सेवा से है;

(ढ) "मौलिक नियुक्ति" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो;

(ण) "भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य किसी कलेण्डर वर्ष में पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

भाग दो–संवर्ग

सेवा का संवर्ग

4. (1) सेवा में सदस्य की संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी राज्यपाल द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाये।

(2) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या, जब तक कि उपनियम (1) के अधीन उसमें परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायें, उतनी होगी जितनी परिशिष्ट "क" में दी गयी है:

परन्तु–

क–नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकते हैं या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा, और

ख–राज्यपाल समय–समय पर ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं जिन्हें वह उचित समझें।

भाग तीन–भर्ती

5. सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी– भर्ती का स्रोत

परिवहन आयुक्त कार्यालय

क्रम संख्या	पदनाम	भर्ती का स्रोत
एक	कनिष्ठ लिपिक कम कनिष्ठ डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	(1) 75 प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा तथा (2) 25 प्रतिशत पद विभाग में कार्यरत समूह 'घ' के ऐसे कर्मचारियों में से जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश अथवा उत्तरांचल शिक्षा एवं परीक्षा परिषद् की हाई स्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो और जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।
दो	वरिष्ठ लिपिक कम वरिष्ठ डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	मुख्यालय के स्थायी कनिष्ठ लिपिक कम कनिष्ठ डाटा एन्ट्री ऑपरेटरों में से, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।
तीन	वरिष्ठ सहायक कम वरिष्ठ डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	मुख्यालय के स्थायी वरिष्ठ लिपिक कम वरिष्ठ डाटा एन्ट्री ऑपरेटरों में से, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।
चार	कार्यालय अधीक्षक ग्रेड–2	मुख्यालय के स्थायी वरिष्ठ सहायक कम वरिष्ठ डाटा एन्ट्री ऑपरेटरों में से, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।
पांच	कार्यालय अधीक्षक ग्रेड–1	मुख्यालय के कार्यालय अधीक्षक ग्रेड–2 में से, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।
छः	लेखा लिपिक	सीधी भर्ती द्वारा
सात	सहायक लेखाकार	सीधी भर्ती द्वारा
आठ	लेखाकार	मुख्यालय के स्थायी सहायक लेखाकारों/लेखालिपिकों में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।
नौ	लेखा परीक्षक	सीधी भर्ती द्वारा
दस	सम्परीक्षक/ज्येष्ठ लेखा परीक्षक	स्थायी लेखा परीक्षकों में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा। परन्तु यदि पदोन्नति हेतु पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो पद सीधी भर्ती से भी भरा जा सकता है।
ग्यारह	आशुलिपिक कम वरिष्ठ डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	सीधी भर्ती द्वारा

बारह	आशुलिपिक कम कन्सोल ऑपरेटर	मुख्यालय के स्थायी आशुलिपिक कम वरिष्ठ डाटा एन्ट्री ऑपरेटरों में से, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा। परन्तु यदि पदोन्नति का पात्र व्यक्ति उपलब्ध न हो तो पद सीधी भर्ती द्वारा भरा जा सकता है।
तेरह	वैयक्तिक सहायक	मुख्यालय के स्थायी आशुलिपिक कम कन्सोल ऑपरेटरों में से, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।
चौदह	संकलनकर्ता	सीधी भर्ती द्वारा
पन्द्रह	संख्या सहायक	स्थायी संकलनकर्ताओं में से, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए पदोन्नति द्वारा। परन्तु यदि पदोन्नति हेतु पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो पद सीधी भर्ती द्वारा भी भरा जा सकता है।

संभागीय परिवहन कार्यालयों के सम्बन्ध में

क्रम संख्या	पदनाम	भर्ती का स्रोत
एक	कनिष्ठ लिपिक कम कनिष्ठ डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	(1) 75 प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा तथा (2) 25 प्रतिशत पद विभाग में कार्यरत समूह 'घ' के ऐसे कर्मचारियों में से जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश अथवा उत्तरांचल शिक्षा एवं परीक्षा परिषद् की हाई स्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो और जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।
दो	वरिष्ठ लिपिक कम वरिष्ठ डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	संभागीय कार्यालयों के स्थायी कनिष्ठ लिपिक कम कनिष्ठ डाटा एन्ट्री ऑपरेटरों में से, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।
तीन	वरिष्ठ सहायक कम वरिष्ठ डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/मुख्य लिपिक	संभागीय कार्यालयों के स्थायी वरिष्ठ लिपिक कम वरिष्ठ डाटा एन्ट्री ऑपरेटरों में से, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।
चार	कार्यालय अधीक्षक ग्रेड–2	संभागीय कार्यालयों के स्थायी वरिष्ठ सहायक कम वरिष्ठ डाटा एन्ट्री ऑपरेटरों/मुख्य लिपिकों में से, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।
पांच	लेखालिपिक	सीधी भर्ती द्वारा
छः	लेखाकार	संभागीय कार्यालय के स्थायी लेखालिपिकों में से, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।
सात	आशुलिपिक एवं वरिष्ठ डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	सीधी भर्ती द्वारा।

टिप्पणी :— संभागीय कार्यालयों में कनिष्ठ लिपिक कम कनिष्ठ डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के पद को छोडकर अन्य पदों पर पदोन्नति हेतु पात्रता सूची सभी संभागीय कार्यालयों में कार्यरत पात्र कार्मिकों को सम्मिलित कर तैयार की जायेगी।

6. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा। आरक्षण

7. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी– राष्ट्रीयता

(क) भारत का नागरिक हो; या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी रूप से निवास करने के अभिप्राय से 1 जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो; या

(ग) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी रूप से निवास करने के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या, युगाण्डा और युनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रव्रजन किया हो:

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो:

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस महानिरीक्षक, अभिसूचना, उत्तरांचल से पात्रता का प्रमाण प्राप्त कर ले :

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी:–ऐसे अभ्यर्थी को, जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण–पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो यह जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण–पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाये या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाये।

8. सेवा में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिये अभ्यर्थी की निम्नलिखित अर्हतायें होनी आवश्यक हैं:– शैक्षिक अर्हतायें

क्रम संख्या	पदनाम	अर्हतायें
एक	कनिष्ठ लिपिक कम कनिष्ठ डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	(एक) माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश अथवा उत्तरांचल शिक्षा एवं परीक्षा परिषद् की इण्टरमीडिएट परीक्षा या राज्यपाल द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। (दो) 25 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति के साथ हिन्दी टंकण का ज्ञान। (तीन) कम्प्यूटर में डाटा एन्ट्री के लिए प्रति घंटा 8000 की–डिप्रेशन से अधिक की विशुद्ध गति। वांछनीय–कम्प्यूटर प्रचालन की जानकारी अथवा 'ओ' स्तर का कम्प्यूटर पाठ्यक्रम उत्तीर्ण।
दो	लेखालिपिक/सहा0 लेखाकार	एकाउन्टेन्सी के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक उपाधि और देवनागरी लिपि पढ़ने एवं लिखने का ज्ञान होना चाहिए। इसके अलावा अभ्यर्थी के पास कम्प्यूटर में कार्य करने के ज्ञान के साथ–साथ कम्प्यूटर पर आधारित कार्य का प्रमाण–पत्र

क्रम संख्या	पदनाम	अर्हतायें
		भी होना चाहिए। कम्प्यूटर पर 4000 "की–डिप्रेशन" प्रति घंटा की गति होनी चाहिए।
तीन	लेखा परीक्षक/ज्येष्ठ लेखा परीक्षक	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक उपाधि और देवनागरी लिपि पढ़ने एवं लिखने का ज्ञान होना चाहिए।
चार	आशुलिपिक कम वरिष्ठ डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	(एक) माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश अथवा उत्तरांचल शिक्षा एवं परीक्षा परिषद् की इण्टरमीडिएट परीक्षा या राज्यपाल द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। (दो) हिन्दी आशुलिपि और टंकण का ज्ञान और क्रमशः कम से कम 80 शब्द प्रति मिनट आशुलिपि की और 30 शब्द प्रति मिनट टंकण की गति अवश्य हो। (तीन) कम्प्यूटर में डाटा एन्ट्री के लिए प्रति घंटा 8000 की–डिप्रेशन से अधिक की विशुद्ध गति। वांछनीय–कम्प्यूटर प्रचालन की जानकारी अथवा 'ओ' स्तर का कम्प्यूटर पाठ्यक्रम उत्तीर्ण।
पांच	आशुलिपिक कम कन्सोल ऑपरेटर/ आशुलिपिक कम डाटा सुपरवाइजर (सीधी भर्ती की स्थिति में)	(एक) माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश अथवा उत्तरांचल शिक्षा एवं परीक्षा परिषद् की इण्टरमीडिएट परीक्षा या राज्यपाल द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। (दो) हिन्दी आशुलिपि और टंकण का ज्ञान और क्रमशः कम से कम 80 शब्द प्रति मिनट आशुलिपि की और 30 शब्द प्रति मिनट हिन्दी टंकण की गति अवश्य हो। (तीन) कम्प्यूटर में डाटा एन्ट्री के लिए प्रति घंटा 8000 की–डिप्रेशन से अधिक की विशुद्ध गति। वांछनीय–कम्प्यूटर प्रचालन की जानकारी अथवा 'ओ' स्तर का कम्प्यूटर पाठ्यक्रम उत्तीर्ण।
छः	संकलनकर्ता/ संख्या सहायक	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी, अर्थशास्त्र, गणित या वाणिज्य के साथ स्नातक उपाधि।

अधिमानी अर्हतायें

9. अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने–

(एक) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या

(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।

आयु

10. सीधी भर्ती के पदों पर अभ्यर्थी की आयु सीमा उतनी होगी जितनी भर्ती के समय उस समूह के लिये राज्य सरकार द्वारा निर्धारित होगी:

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जायें, अभ्यर्थी की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाये।

चरित्र

11. सेवा में सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में नियोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान करेंगे।

टिप्पणी:—संघ सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में किसी प्राधिकारी या किसी स्थानीय निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

12. सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगी, जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगी जिसके एक से अधिक पति जीवित हों: वैवाहिक प्रास्थिति

परन्तु राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं, यदि उनका समाधान हो जाये कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं।

13. किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह फण्डामेन्टल रूल–10 के अधीन बनाये गये और फाइनेन्शियल हैण्ड बुक, खण्ड–2, भाग–3 में दिये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करे। शारीरिक स्वस्थता

परन्तु पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थी से स्वस्थता प्रमाण–पत्र की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

भाग चार–भर्ती प्रक्रिया

14. नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम–6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा। यदि चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्ति अधिकारी से भिन्न कोई अधिकारी है तो नियुक्ति प्राधिकारी चयन समिति के अध्यक्ष को रिक्तियों की सूचना देगा। रिक्तियों का अवधारण

15. किसी पद पर सीधी भर्ती उत्तरांचल (उत्तरांचल लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह 'ग' के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया नियमावली, 2003 या तत्समय प्रवृत्त नियमों के अनुसार की जायेगी। सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया

16. (1) पदोन्नति द्वारा भर्ती के प्रयोजनार्थ एक चयन समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें निम्नलिखित होंगे :— पदोन्नति द्वारा भर्ती प्रक्रिया

(i)	नियुक्ति प्राधिकारी ...	अध्यक्ष
(ii)	परिवहन आयुक्त द्वारा नामित अधिकारी जो संभागीय परिवहन अधिकारी से निम्न स्तर के न हों ...	सदस्य
(iii)	परिवहन आयुक्त द्वारा नाम–निर्दिष्ट कोई अधिकारी जो सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी से निम्न पद का न हो ...	सदस्य

टिप्पणी:—चयन समिति में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के अधिकारियों को समय–समय पर यथा संशोधित राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये आदेशों के अनुसार नाम निर्देशन किया जायेगा।

पदोन्नति द्वारा भर्ती उपरोक्त चयन समिति के माध्यम से, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर की जायेगी।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ज्येष्ठता के क्रम में अभ्यर्थियों की पात्रता सूची तैयार करेगा और उसे अभ्यर्थियों की चरित्र पंजियों और उनसे सम्बन्धित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ, जो उचित समझे जायें, चयन समिति के समक्ष रखेगा।

(3) चयन समिति उपनियम–2 में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है।

(4) चयन समिति चयन किये गये अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता के क्रम में एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

भाग पांच –नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

नियुक्ति

17. (1) मौलिक रिक्तियाँ होने पर नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की, उस क्रम में जिसमें उनके नाम, यथास्थिति, नियम 15 या 16 (जैसी स्थिति हो) के अधीन तैयार की गयी सूची में हों, नियुक्तियाँ करेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी अस्थायी और स्थानापन्न रिक्तियों में भी उपनियम (1) में निर्दिष्ट सूचियों में से नियुक्तियाँ कर सकता है। यदि इन सूचियों का कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो वह इस नियमावली के अधीन नियुक्ति के लिये पात्र व्यक्तियों में से ऐसी रिक्तियों में नियुक्ति कर सकता है। ऐसी नियुक्ति एक वर्ष से अनाधिक अवधि के लिये या इस नियमावली के अधीन आगामी चयन किये जाने तक के लिये, इनमें से जो भी पहले हो, की जायेगी।

परिवीक्षा

18. (1) सेवा में किसी पद पर किसी स्थायी नियुक्ति में या उसके प्रति मौलिक रूप से नियुक्त किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग–अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा, जब तक की अवधि बढ़ायी जाये:

परन्तु परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक, किन्तु किसी भी दशा में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।

(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जायं किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप से की गयी निरन्तर सेवा की अवधि को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजन के लिये गणना करने की अनुमति दे सकता है।

स्थायीकरण

19. किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायीकरण उत्तरांचल राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 2002 अथवा तत्समय प्रवृत्त नियमों के अन्तर्गत किया जायेगा।

20. (1) सम्पूर्ण राज्य में मुख्यालय स्तर पर ज्येष्ठता सूची रखी जायेगी। ज्येष्ठता

(2) सेवा में किसी भी श्रेणी के पद पर ज्येष्ठता का निर्धारण उत्तरांचल सरकारी सेवा ज्येष्ठता नियमावली, 2002 अथवा तत्समय प्रवृत्त नियमावली के अन्तर्गत किया जायेगा।

भाग छः—वेतन इत्यादि

21. (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर चाहे मौलिक रूप से या स्थानापन्न रूप में या अस्थायी आधार पर नियुक्त व्यक्तियों को ऐसे वेतन एवं भत्ते देय होंगे, जैसा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय। वेतनमान

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान परिशिष्ट 'क' में दिये गये हैं।

22. (1) फण्डामेण्टल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, उसके उस वेतनमान में अगली वेतनवृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की संतोषप्रद सेवा पूरी कर ली हो, विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और प्रशिक्षण जहाँ विहित हो, पूरा कर लिया हो और द्वितीय वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो: परिवीक्षा अवधि में वेतन

परन्तु यदि सन्तोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

(2) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत फण्डामेण्टल रूल्स द्वारा विनियमित होगा:

परन्तु यदि सन्तोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

(3) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन, राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू, सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

भाग सात—अन्य उपबन्ध

23. किसी पद या सेवा पर लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिश से भिन्न किसी सिफारिश पर, चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा। पक्ष समर्थन

24. ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियन्त्रित होंगे। अन्य विषयों का विनियमन

25. यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, तो वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के सेवा शर्तों में शिथिलता

अधीन रहते हुए जिन्हें वह मामले में न्याय संगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।

स्थानान्तरण

26. सेवा में प्रत्येक श्रेणी के पदधारियों को नियुक्ति प्राधिकारी/विभागाध्यक्ष द्वारा समय–समय पर जारी किये गये सरकार के आदेशों के अनुसार स्थानान्तरित किया जा सकता है।

व्यावृत्ति

27. इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

परिशिष्ट–'क'

परिवहन आयुक्त कार्यालय

क्र0सं0	पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या		
			स्थायी	अस्थायी	योग
1	2	3	4	5	6
1.	कार्यालय अधीक्षक ग्रेड–1	6500–10500	01	—	01
2.	कार्यालय अधीक्षक ग्रेड–2/अनुभाग प्रभारी	5000–8000	01	01	02
3.	वरिष्ठ सहायक कम व0डा0इ0 ऑपरेटर	4500–7000	06	—	06
4.	वरिष्ठ लिपिक कम व0डा0इ0 ऑपरेटर	4000–6000	06	01	07
5.	कनिष्ठ लिपिक कम क0डा0इ0 ऑपरेटर	3050–4590	12	02	14
6.	लेखाकार	5000–8000	01	—	01
7.	सम्परीक्षक/ज्येष्ठ लेखा परीक्षक	5000–8000	01	—	01
8.	लेखा परीक्षक	4000–6000	—	02	02
9.	संख्या सहायक	5000–8000	—	01	01
10.	संकलनकर्ता	4000–6000	—	01	01
11.	वैयक्तिक सहायक	5500–9000	—	01	01
12.	आशुलिपिक कम कन्सोल ऑपरेटर	5000–8000	02	—	02
13.	आशुलिपिक कम व0डा0इ0 ऑपरेटर	4000–6000	05	—	05
14.	सहायक लेखाकार	4000–6000	—	01	01
15.	लेखालिपिक	4000–6000	01	—	01
	योग	...	36	10	46

संभागीय कार्यालय

क्र0सं0	पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या		
			स्थायी	अस्थायी	योग
1	2	3	4	5	6
1.	कार्यालय अधीक्षक ग्रेड–2	5000–8000	01	03	04
2.	मुख्य लिपिक	4500–7000	02	09	11
3.	वरिष्ठ सहायक कम व0डा0इ0 ऑपरेटर	4500–7000	15	23	38
4.	वरिष्ठ लिपिक कम व0डा0इ0 ऑपरेटर	4000–6000	45	20	65
5.	कनिष्ठ लिपिक कम क0डा0इ0 ऑपरेटर	3050–4590	57	106	163
6.	लेखाकार	5000–8000	03	01	04
7.	आशुलिपिक कम व0डा0इ0 ऑपरेटर	4000–6000	03	01	04
8.	लेखालिपिक	4000–6000	07	08	15
	योग		133	171	304

आज्ञा से,

एन0 एस0 नपलच्याल,
प्रमुख सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 4 परिवहन/278–2004–78+100 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

क्रम संख्या–133

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0एन0–30/2006–08
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–4, खण्ड (क)
(सामान्य परिनियम नियम)

देहरादून, सोमवार, 27 अगस्त, 2007 ई0
भाद्रपद 05, 1929 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक अनुभाग–2

संख्या 1413/XXX(2)/2007
देहरादून, 27 अगस्त, 2007

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा0 प0 नि0–06

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल, उत्तरांचल (उत्तरांचल लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह 'ग' के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया नियमावली, 2003 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तराखण्ड (उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह 'ग' के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया (संशोधन) नियमावली, 2007

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ–

(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड (उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह 'ग' के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया (संशोधन) नियमावली, 2007 है।

(2) यह दिनांक 01 जून, 2006 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

2. नियम 5 के उपनियम (5) के खण्ड (क), (ख), (ग) एवं उपनियम 6 का प्रतिस्थापन–

उत्तरांचल (उत्तरांचल लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह 'ग' के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया नियमावली, 2003 में नीचे स्तम्भ–1 में दिए गए वर्तमान नियम 5 के उपनियम (5) के खण्ड (क), (ख), (ग) तथा उपनियम (6) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

स्तम्भ–1 (वर्तमान उपनियम)	स्तम्भ–2 (एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम)
1. नियम 5 का उपनियम (5) 5 (5)(क) उपनियम (4) के खण्ड (क), (ख), (ग), (घ) और (ङ) के अधीन लिखित परीक्षा और अन्य मूल्यांकनों के परिणाम प्राप्त हो जाने, और सारणीबद्ध कर लिये जाने के पश्चात् चयन समिति, नियम 4 में निर्दिष्ट आरक्षण के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए साक्षात्कार करेगी। साक्षात्कार के लिए बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों की संख्या की चार गुना होगी। किसी पद पर जिसके लिए टंकण या आशुलिपि और टंकण अनिवार्य अर्हता के रूप में विहित हो, चयन किये जाने वाले अभ्यर्थियों की दशा में, केवल ऐसे अभ्यर्थियों को, जो उपनियम (4) और खण्ड (ङ) के अधीन यथास्थिति टंकण परीक्षा या आशुलिपि और टंकण परीक्षा में सफल हो गया हो, साक्षात्कार के लिए बुलाया जायेगा (ख) साक्षात्कार चयन हेतु परीक्षा के लिए नियत कुल अंकों के दस प्रतिशत अंकों का होगा। साक्षात्कार में अध्यक्ष और सभी अन्य सदस्यों द्वारा पृथक–पृथक निम्नलिखित रीति से अंक दिये जायेंगे:– (एक) विषय/सामान्य ज्ञान– चार अंकों तक। (दो) व्यक्तित्व निर्धारण– तीन अंकों तक। (तीन) अभिव्यक्ति की क्षमता– तीन अंकों तक। टिप्पणी–किसी अभ्यर्थी द्वारा साक्षात्कार में प्राप्त किये गये कुल अंक चयन समिति के अध्यक्ष और सभी सदस्यों द्वारा पृथक–पृथक रूप से दिये गये अंकों के औसत की गणना करके अवधारित किये जायेंगे। (ग) चयन समिति के अध्यक्ष और सदस्यों को किसी भी दशा में साक्षात्कार के समय उपनियम (4) खण्ड (ख), (ग), (घ) और (ङ) के अधीन अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त किये गये अंकों के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं दी जायेगी।	1. नियम 5 का उपनियम (5) (5)उपनियम (4) के खण्ड (क), (ख), (ग), (घ) के अधीन लिखित परीक्षा और अन्य मूल्यांकनों के परिणाम प्राप्त हो जाने और सारणीबद्ध कर लिये जाने के पश्चात् चयन समिति, नियम 4 में निर्दिष्ट आरक्षण के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए, अभ्यर्थियों की एक श्रेष्ठता सूची बनायेगी तथा किसी ऐसे पद पर, जिसके लिए टंकण या आशुलिपि और टंकण अनिवार्य अर्हता के रूप में विहित हो, चयन किये जाने वाले अभ्यर्थियों की दशा में, यथास्थिति, टंकण या आशुलिपि और टंकण की परीक्षा होगी।
2. नियम 5(5)(6) (6) उपनियम (5) के अधीन साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किये गये अंकों को उपनियम (4) के अधीन प्राप्त किये गये अंकों में जोड़ दिया जायेगा। इस प्रकार प्राप्त अंकों को कुल योग के आधार पर अन्तिम चयन सूची तैयार की जायेगी यदि दो या अधिक अभ्यर्थी कुल योग के बराबर–बराबर अंक प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा में उच्चतर अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जायेगा। यदि लिखित परीक्षा में भी दो या अधिक अभ्यर्थी ने बराबर–बराबर अंक प्राप्त किये हों तो आयु	2. नियम 5 का उपनियम (6)– (6) (एक) उपनियम (4) के खण्ड (क), (ख), (ग), (घ) एवं (ङ) के अधीन लिखित परीक्षा एवं अन्य मूल्यांकनों के परिणाम प्राप्त हो जाने व सारणीबद्ध कर लिये जाने के पश्चात् चयन समिति, नियम 4 में निर्दिष्ट आरक्षण के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए, एक अंतिम चयन सूची तैयार करेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी कुल योग के बराबर–बराबर अंक प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा में उच्चतर अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा

में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जायेगा। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु पच्चीस प्रतिशत से अनधिक) होगी।

जायेगा। यदि लिखित परीक्षा में भी दो या अधिक अभ्यर्थियों ने बराबर–बराबर अंक प्राप्त किये हों तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जायेगा। सूची में नामों की संख्या, रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु पच्चीस प्रतिशत से अनधिक) होगी।

(दो) जिन पदों हेतु टंकण अथवा आशुलिपि एवं टंकण अनिवार्य हो, उनके लिए उपनियम (4) के खण्ड (क), (ख), (ग), (घ) एवं (ङ) के अधीन लिखित परीक्षा एवं अन्य मूल्यांकनों तथा टंकण अथवा आशुलिपि एवं टंकण के परिणाम प्राप्त हो जाने व सारणीबद्ध कर लिये जाने के पश्चात् चयन समिति, नियम 4 में निर्दिष्ट आरक्षण के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए, एक अंतिम चयन सूची तैयार करेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी कुल योग के बराबर–बराबर अंक प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा में उच्चतर अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जायेगा। यदि लिखित परीक्षा में भी दो या अधिक अभ्यर्थियों ने बराबर–बराबर अंक प्राप्त किये हों तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जायेगा। सूची में नामों की संख्या, रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु पच्चीस प्रतिशत से अनधिक) होगी।

(तीन) नियम 5 के उपनियम (5) एवं उपनियम (6) के अधीन जिलाधिकारी द्वारा प्रवीणता सूची तैयार करने के पश्चात्, ऐसी सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों से जनपद के लिए विज्ञापित समस्त पदों हेतु विकल्प प्राप्त किये जायेंगे। अभ्यर्थियों से प्राप्त विकल्प के आधार पर, उनके श्रेष्ठता क्रम के अनुसार, अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु जिलाधिकारी द्वारा कार्यालय आवंटित कर नियुक्ति प्राधिकारी को अभ्यर्थी का नाम संस्तुत किया जायेगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा दिए गये विकल्पों पर वरीयता क्रम से विचार करने पर उसके द्वारा दिया गया अंतिम विकल्प भी उसको आवंटित नहीं किया जा सका हो, तब उसका नाम किसी भी कार्यालय के नियुक्ति प्राधिकारी को संस्तुत नहीं किया जायेगा।

आज्ञा से,

डी0के0 कोटिया,
सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1413/XXX(2)/2007, dated August 27, 2007 for general information :

No. 1413/XXX(2)/2007
Dated Dehradun, August 27, 2007

NOTIFICATION

Miscellaneous

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending The Uttaranchal Procedure For Direct Recruitment For Group "C" Posts (Outside The Purview of The Uttaranchal Public Service Commission) Rules, 2003:--

THE UTTARAKHAND PROCEDURE FOR DIRECT RECRUITMENT FOR GROUP "C" POSTS (OUTSIDE THE PURVIEW OF THE UTTARAKHAND PUBLIC SERVICE COMMISSION) (AMENDMENT) RULES, 2007

1. Short title and Commencement--

(1) These rules may be called, The Uttarakhand Procedure For Direct Recruitment For Group "C" Posts (Outside The Purview Of The Uttarakhand Public Service Commission) (Amendment) Rules, 2007.

(2) It shall be deemed to have come into force from the 1st day of June, 2006.

2. Substitution of clause (a), (b), (c) of sub-rule (5) of rule 5 and Sub-rule (6) of rule 5--

In the Uttaranchal Procedure For Direct Recruitment For Group "C" Posts (Outside The Purview of The Uttaranchal Public Service Commission) Rules, 2003 for the existing sub- rule (5) set out in column-1 below, the sub-rule as set out in column-2 shall be substituted, namely:--

Column-1 (Existing sub-rule)	Column-2 (sub-rule as hereby substituted)
1. Sub-rule (5) of Rule 5.	**1. Sub-rule (5) of Rule 5.**
(a) After the results of the written examination and other evaluations under clauses (a), (b), (c), (d) and (e) of sub-rule (4) have been received and tabulated, the Selection Committee shall, having regard to the provisions of reservation referred to in Rule 4 , hold an interview. The number of candidates to be called for interview shall be four times the number of the vacancies. In the case of candidates to be selected for a post for which typewriting or shorthand and typewriting has been prescribed as an essential qualification, only such candidates who qualify the typewriting test or shorthand and typewriting test as the case may be, under clause (e) of sub-rule (4), shall be called for interview.	(5) After the results of the written examination and other evaluations under clause (a), (b), (c), (d) of sub-rule (4) have been received and tabulated, the Selection Committee shall prepare a merit list, having regard to the provisions of reservation referred to in Rule 4, and for such a post for which typewriting or shorthand and typewriting is prescribed as essential qualification, typewriting or shorthand and typewriting test will be held of the selected candidate, as the case may be.
(b) The interview shall carry ten per cent marks of the total marks fixed for test for selection.	

Marks at the interview shall be awarded by the Chairman and all other Members separately in the following manner:–

(i) Subject/General Knowledge-upto four marks.

(ii) Personality Assessment-upto three marks.

(iii) Power of Expression-upto three marks.

NOTE–The total obtained by a candidate at the interview shall be determined by calculating the average of marks awarded to him by the Chairman an all the Members of the Selection Committee separately.

(c) The Chairman and Member of the Selection Committee shall, in no case be provided any information with regard to marks obtained by candidates under clauses (a), (b), (c), (d) and (e) of sub-rule (4) at the time of interview.

2. Rule 5(5)(6)–

(6) The marks obtained by each candidate at the interview under sub-rule (5) shall be added to the marks obtained under sub-rule (4). The final select list shall be prepared on the basis of aggregate of marks so arrived. If two or more candidates obtain equal marks in aggregate, the candidate obtaining higher marks in the written examination shall be placed higher in the select list. In case two or more candidates obtain equal marks in the written examination also the candidate senior in age shall be placed higher in the select list. The number of the names in the list shall be larger (but not larger by more than twenty-five per cent) than the number of vacancies.

2. Sub-rule (6) of rule 5–

(6) (i) After the results of the written examination and other evaluations under clause (a), (b), (c), (d) and (e) of sub-rule (4) have been received and tabulated, the Selection Committee shall, having regard to the provision of reservation referred to in rule 4, will prepare a final selection list. If two or more candidates obtain equal marks in aggregate, the candidate obtaining higher marks in the written examination shall be placed higher in the select list. In case two or more candidates obtain equal marks in the written examination also the candidate senior in age shall be placed higher in the select list. The number of the names in the list shall be larger (but not larger by more than twenty-five per cent) than the number of vacancies.

(ii) For the posts for which typewriting or shorthand and typewriting is essentially required, after the result of the written examination and other evaluation and typewriting or shorthand and typewriting, under clause (a), (b), (c), (d) and (e) of sub-rule (4) have been received and tabulated, the Selection Committee shall,

having regard to the provision of reservation referred to in rule 4, will prepare a final selection list. If two or more candidates obtain equal marks in aggregate, the candidate obtaining higher marks in the written examination shall be placed higher in the select list. In case two or more candidates obtain equal marks in the written examination also, the candidate senior in age shall be placed higher in the select list. The number of the names in the list shall be larger (but not larger by more than twenty-five per cent) than the number of vacancies.

(iii) Options will be obtained for all the advertised posts of District from the candidates, after the merit list has been prepared by the District Magistrate under the sub-rule (5) and (6) of rule 5. On the basis of the options obtained from the candidates, the names of the candidate will be forwarded to the Appointing Authority by the District Magistrate for their appointments according to their merit, after alloting the offices. The name of the candidate will not be forwarded to the Appointing Authority of any office, when the last option given by the candidate could not be allotted to him/her, after considering the options given by him or her priority wise.

By Order,

D. K. KOTIA,
Secretary.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 8 कार्मिक/405-2007-100+100 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

उत्तराखण्ड शासन
परिवहन अनुभाग–1
संख्या–179/ix/13(3)/2009
देहरादूनः दिनांक 30 अक्टूबर 2009

अधिसूचना

राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उत्तराखण्ड परिवहन विभाग लिपिक वर्ग सेवा नियमावली, 2004 में अग्रतर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनातें हैं:–

उत्तराखण्ड परिवहन विभाग लिपिक वर्ग (संशोधन) सेवा नियमावली, 2009

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड परिवहन विभाग लिपिक वर्ग सेवा (संशोधन) नियमावली, 2009 है।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 3 के खण्ड (झ) का प्रतिस्थापन

2. उत्तराखण्ड परिवहन विभाग लिपिक वर्ग सेवा नियमावली 2004 के नियम–3 के खण्ड (झ) में वर्तमान स्तम्भ–1 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उपबन्ध रख दिया जायेगा, अर्थात–

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(झ) ' सेवा का सदस्य ' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग मे किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त और सेवारत व्यक्ति से है।	(झ) ' सेवा का सदस्य ' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग मे किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त एवं सेवारत अथवा मौलिक रूप से नियुक्ति के लिये अभिकल्पित व्यक्ति से है।

नियम 17 के उपनियम (1) का प्रतिस्थापन

3 मूल नियमावली में नीचें स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम 17 उपनियम (1) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उपनियम (1) रख दिया जायेगा, अर्थात–

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
नियुक्ति 17. (1) मौलिक रिक्तियां होने पर नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की, उस क्रम में जिसमें उनके नाम, यथास्थिति, नियम 15 या 16	नियुक्ति 17. (1) उपनियम–2 के प्राविधानों के अधीन नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की, उस क्रम में जिसमें उनके नाम, यथास्थिति, नियम 15 या 16 (जैसी स्थिति हो) के अधीन तैयार की गयी सूची

(जैसी स्थिति हो) के अधीन तैयार की गयी सूची में हो, नियुक्तियां करेगा।

में हो, नियुक्तियां करेगा,

परन्तु, वह व्यक्ति जो, इस नियमावली के प्रारम्भ से पूर्व कनिष्ठ लिपिक (वर्तमान पद नाम कनिष्ठ सहायक) के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त था तथा जो धारित पद के लिये नियम 8 में निर्धारित अर्हता पूर्ण करता है, को सम्बन्धित पद पर इस नियमावली के प्रारम्भ से सीधी भर्ती के कोटे में मौलिक रूप से नियुक्त माना जाएगा।

आज्ञा से,

(उमाकान्त पंवार)
सचिव।

संख्या-470/ix/313/17 2009, तददिनांकित।

प्रतिलिपिः–संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रण एंव लेखन सामग्री रुड़की, हरिद्वार को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इस अधिसूचना का प्रकाशन असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग–4 खण्ड (ख) में कराने का कष्ट करें तथा सम्बन्धित गजट की 50 मुद्रित प्रतियां अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(गरिमा रौंकली)
उप सचिव।

संख्या-470/ix/313/17 2009, तददिनांकित।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2– निजी सचिव, मा0 परिवहन मंत्री, उत्तराखण्ड।
3– परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड।
4– गार्ड फ़ाइल/एन0आई0सी0।

आज्ञा से,

(गरिमा रौंकली)
उप सचिव।